तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भावेश कुमार बनाम लो.सू.अ. लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 127/2023 (ऑन लाईन नं.35383883532389)	
14.08.23	अपीलार्थी भावेश कुमार दवे, निवासी सुथारों का बास, ग्राम नारलाई तहसील देसूरी, जिला पाली ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.03.23 में उसके द्वारा (1) दिनांक 01.01.2022 से 31.01.2023 के मध्य भू-स्वामी पुरूषोतम राठी , राठी सेल्स एजेन्सी रातानाडा जोधपुर और उनके किरायेदारों द्वारा संयुक्त रूप से, राजस्थान किराया नियंत्रण अधि. 2017 की अनुसूचि घ में विनिर्दिष्ट प्रारूप में किराया प्राधिकारी को संसूचित किया गया हो, तो अनुसूची-घ में विनिर्दिष्ट प्रारूप की प्रतिलिपियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रथम शहर,कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 875 दिनांक 26.07.23 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर अति. पुलिस उपायुक्त पूर्व, महानगर जोधपुर से संबंधित होने के कारण कार्यालय के पत्रांक 354 दिनांक 29.03.23 द्वारा पुलिस उपायुक्त पूर्व, महानगर जोधपुर को अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया तथा प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई थी। चूंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा अति. पुलिस उपायुक्त पूर्व, महानगर जोधपुर के विरूद्ध प्रथम अपील इस कार्यालय को सुनने का अधिकार नहीं है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	